न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :-श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

मि0न0 – 35/2018

अनवान :

1. रामप्रताप पुत्र मामचन्द जाति कुम्हार निवासी भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

– **प्रार्थी**

बनाम

1. सरबती पत्नी स्व0 भंवरसिंह
2. कौशल्या उर्फ ओमीकला } पुत्रिया स्व0 भंवरसिंह
3. संतोष
4. शकुंतला
5. सरोज
6. राजकुमार } पुत्रान स्व0 भंवरसिंह
7. धर्मवीर
8. विनोद

(1 से 8 तक) } जाति कुम्हार निवासीगण भिरानी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

9. शिशपाल पुत्र मामचन्द जाति कुम्हार निवासी भिरानी तहसील भादरा।

– **अप्रार्थीगण**

प्रार्थना पत्र बाबत : रास्ता स्वीकृत करवाने अन्तर्गत धारा 251(क) राज0काश्त0अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 8(2) राज0 जनरल कॉलोनी कण्डीशन एक्ट

उपस्थिति : वकील श्री पूनमचन्द वर्मा : **प्रार्थी**

वकील श्री गुलाबसिंह : **अप्रार्थीगण**

निर्णय **दिनांक:** 22-6-18

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि गांव भिरानी की जमाबंदी सम्वत् 2070–73 के खाता सं0 440/430 के मु0 नं0 286 के किला नं0 20/2 की 0.013 है0, किला नं0 21 की 0.253 है0, मु0 नं0 287 के किला नं0 16/2 की 0.013 है0, किला नं0 17/2 की 0.013 है0, किला नं0 24 की 0.253 है0, किला नं0 25 की 0.253 है0, मु0 नं0 318 के किला नं0 4 ता 7 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0 नं0 319 के किला नं0 1 की 0.253 है0, किला नं0 2/1 की 0.057 है0, किला नं0 3/1 की 0.058 है0, किला नं0 8 ता 10 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, मु0 नं0 426 के किला नं0 19 की 0.253 है0, मय रास्ता 0.013 है0, किला नं0 22 की 0.253 है0, मु0 नं0. 427 के किला नं0 7 की 0.253 है0, किला नं0 14 की 0.253 है0, किला नं0 16/2 की 0.126 है0, किला नं0 17/1 की 0.240 है0, मु0 नं0 433 के किला नं0 2 की 0.253 है0, किला नं0 9 की 0.253 है0 कुल 4.821 है0, बारानी 4.808 है0, रास्ता 0.013 है0, कृषि भूमि खातेदारी प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और गांव भिरानी के खाता सं0 280 के मु0 नं0 286 के किला नं0 10 की 0.253 है0, किला नं0 11 की 0.253 है0, किला नं0 20/1 की 0.240 है0, मु0 नं0 287 के किला नं0 6, 7, 12 ता 15 के प्रत्येक किला की 0.253 है0, किला नं0 16/1 की 0.240 है0, किला नं0 17/1 की 0.240 है0, किला नं0 18 की 0.253 है0, किला नं0 19 की 0.253 है0, मु0 नं0

उपखण्डाधिकारी (राजस्व) (जिला-हनुमानगढ़)

325 के किला नं0 20 की 0.253 है0, किला नं0 21 की 0.127 है0, मु0 नं0 326 के किला नं0 16 की 0.253 है0 मय रास्ता 0.013 है0, किला नं0 25 की 0.126 है0, मु0 नं0 426 के किला नं0 13/2 की 0.190 है0, किला नं0 16/1 की 0.228 है0, किला नं0 17/1 की 0.240 है0, किला नं0 18 की 0.253 है0, मय रास्ता 0.013 है0, किला नं0 23 की 0.253 है0, किला नं0 24/2 की 0.127 है0, किला नं0 25/1 की 0.127 है0 मु0 नं0 433 के किला नं0 3 की 0.253 है0. किला नं0 8 की 0.253 है0, कुल 5.933 है0, बारानी 5.907 है0 रास्ता 0.026 है0, खातेदारी कृषि भूमि अप्रार्थीगण 1 ता 8 के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है और गांव भिरानी के खाता सं0 521/487 के मु0 नं0 286 के किला नं0 16 की 0.152 है0, किला नं0 17 ता 19 किला नं0 22 ता 24 के प्रत्येक किला की 0.253 है, किला नं0 25 की 0.164 है0, मु0 न0 319 के किला नं0 2/2 की 0.196 है0, किला नं0 3/2 की 0.196 है0, किला नं0 4 की 0.253 है0, किला नं0 5 की 0.152 है0, किला नं0 6 की 0.164 है0, किला नं0 7 की 0.253 है0, मु0 नं0 426 के किला नं0 20/1 की 0.190 है0, मय रास्ता 0.013 है0, किला नं0 21 की 0.253 है0, मु0 नं0 427 के किला नं0 3/2 की 0.127 है0, किला नं0 4/1 की 0.127 है0, किला नं0 8 की 0.253 है0, किला नं0 13 की 0.253 है0, किला नं0 18/2 की 0.240 है0, मु0 नं0 433 के किला नं0 1 की 0.253 है0, किला नं0 10 की 0.253 है0, कुल 4.997 है0, बारानी 4.984 है0, रास्ता 0.013 है0, कृषि भूमि खातेदारी अप्रार्थी सं0 9 शिशपाल के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज है यही बिनाय प्रार्थना पत्र है नकल उक्त जमाबन्दीयात संलग्न प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 9 एक ही परिवार के व्यक्ति है उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीगण के संयुक्त खाता की कृषि भूमि थी। जिसके खाता विभाजन के समय प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने अच्छी–मंदी व रास्ता की भूमि को ध्यान में रखते हुये उक्त भूमि मु0 नं0 286, 287, 318 और 319 में से प्रार्थी को 2.937 है0 (11 बीघा 12 बिस्वा) और अप्रार्थी सं0 1 ता 8 के पिता/पति भवंरसिंह को 3.250 है0 (12 बीघा 17 बिस्वा) और अप्रार्थी सं0 9 को 3.048 है0 (12 बीघा 1 बिस्वा) भूमि खातेदारी मिली और अप्रार्थी सं0 1 ता 8 की उक्त भूमि के मु0 नं0 287 के किला नं0 12 में से 0.013 है0 उत्तरी तरफ से पूर्व से पश्चिम रास्ता और किला नं0 13 में से 0.013 है0, उत्तरी तरफ से पूर्व से पश्चिम रास्ता और किला नं0 14 में से 0.013 है0 पश्चिमी तरफ से उतरी से दक्षिण रास्ता, किला नं0 16 में से 0.013 है0 उतरी तरफ से पूर्व से पश्चिम रास्ता, किला नं0 17 मे से 0.013 है0, उत्तरी तरफ से पूर्व से पश्चिम रास्ता, और मु0 नं0 286 के किला नं0 20 में से 0.013 है0 उतरी तरफ से पूर्व से पश्चिम रास्ता हेतु भूमि रखी गई थी और अप्रार्थी सं0 9 की उक्त भूमि मु0 नं0 286 के किला नं0 19 में से 0.013 है0 पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण रास्ता के लिए भूमि रखी गई थी तथा प्रार्थी अपने खेत में इसी रास्ता से होकर सदामत से आवागमन करता आ रहा है।

प्रार्थी की उक्त खातेदारी कृषि भूमि के लिए अन्य कोई मजूंरशुदा रास्ता नहीं है प्रार्थी अप्रार्थीगण की उक्त भूमि में से प्रार्थना पत्र की मद सं0 2 में दर्ज अनुसार रास्ता मंजूर करवाना चाहता है तथा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थी वर्तमान में उक्त रास्ता से होकर आवागमन करता है परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ता है। प्रार्थी अपनी उक्त भूमि का रास्त उक्त वर्णितानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा पाने का अधिकारी है और अप्रार्थीगण इसके लिए उतरदायी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामील होने के उपरान्त प्रार्थी व अप्रार्थीगण 1 ता 9 ने लोकअदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया।

बहस वकील प्रार्थी सुनी गई। हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है व रास्ता की बाबत किसी पक्षकारान को कोई आपत्ति नहीं है व मुताबिक राजीनामा चालू रास्ता को स्वीकृत किये जाने हेतु सहमत है।

अत : प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 8(2) कोलोनाईजेशन एक्ट का स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 1 ता 8 की भूमि गांव भिरानी के खाता सं0 280 के मु0 नं0 286 के किला नं0 20 में से 0.013 है0 रास्ता उतरी तरफ से पूर्व से पश्चिम, मु0 नं0 287 के किला नं0 किला नं0 12 मे से 0.013 है0, रास्ता उतरी तरफ से पूर्व से पश्चिम, किला नं0 13 में से 0.013 है0, रास्ता उतरी तरफ से पूर्व से पश्चिम, किला नं0 14 में से 0.013 है0, रास्ता पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण, किला नं0 16 में से 0.013 है0, रास्ता उतरी तरफ से पूर्व से पश्चिम और किला नं0 17 में से 0.013 है0 रास्ता उतरी तरफ से पूर्व से पश्चिम और अप्रार्थी सं0 9 की भूमि के खाता सं0 521/487 के मु0 नं0 286 के किला नं0 19 मे से 0.013 है0 रास्ता, पश्चिमी तरफ से उतर से दक्षिण स्वीकृत किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन किया जावे। तहसीलदार भादरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.6.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
भादरा जिला हनुमानगढ